

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी:- गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 63/2022 (GCMS 2022/63)	दायर दिनांक 02.03.2022	निर्णय दिनांक 13.07.2022
--	---------------------------	-----------------------------

उनवान

सरकार जरिये श्री महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

श्री निशान्त पुत्र श्याम सुन्दर नानवानी, मैसर्स प्रकाश सुपर स्टोर, सेगवा हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थी

-:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::-

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर इनका नाम प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2021/175 दिनांक 26.05.2021 के द्वारा इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आवंटित किया गया है तथा सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला इनके कार्य क्षेत्र में आता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.10.2021 को समय 6.00



पी. एम. पर मैसर्स प्रकाश सुपर स्टोर, सेगवा हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय श्री निशान्त मौजूद था जिसे अपना परिचय दिया। प्रतिष्ठान/विक्रेता का खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ चना दाल में मिलावट का संदेह होने पर विक्रय हेतु रखी कुल 20 कि. ग्रा. में से 2 कि. ग्रा. जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत के रुपये 100/- भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। ये रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री निशान्त ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री निशान्त को देकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ चना दाल को चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर-बराबर डाला और एयर टाईट किया एवं चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के कोड एवं क्रमांक ए एम-1424 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना बोतलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए एम-1424 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना बोतल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर पर आवे। चारों बोतलों पर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना बोतलों को अपने जापते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर कार्यालय खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर राज. को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर कार्यालय खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो भाग (ii-iii) नमूना बोतलों मय फार्म संख्या



6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर एवं iv पार्ट मय फार्म संख्या 6 के सील बन्द कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी से प्राप्त मुख्य खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/396/एक्ट/2021/388 दिनांक 30.10.2021 के अनुसार ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड (Substandard) होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंधित समस्त दस्तावेज अभिहित अधिकारी को पेश किये। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने पत्रांक/एफएसएसए/2022/403 दिनांक 03.02.2022 से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (Substandard) चना दाल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं 31(i) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 एवं 63 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करें ताकि अवमानक (Substandard) खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय को रोका जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 2 डॉ. रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 महेन्द्र सिंह, वा. अ. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ तथा अपने परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप काबरा ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब पेश होने पर उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (Substandard) चना दाल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक



अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं 31(i) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 एवं 63 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करें ताकि अवमानक (Substandard) खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय को रोका जा सके।

अधिवक्ता अप्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि कि अप्रार्थी एक सामान्य श्रेणी का दुकानदार है जो कि किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का ना तो उत्पादन करता है एवं ना ही निर्माण करता है वह सामग्री बाजार से लाकर उसे उसी अवस्था में विक्रय करता है। जिस दाल का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना बताया है उसको लेकर किसी भी उपभोक्ता द्वारा अप्रार्थी से कोई शिकायत नहीं की गई है और किसी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा है जिससे अप्रार्थी की प्रतिष्ठा एवं मान-सम्मान को ठेस पहुंचने की पूरी आशंका है एवं अप्रार्थी को व्यापार में क्षति होकर आर्थिक नुकसान हो सकता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर प्रकरण को खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 2 एवं 3 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ चना दाल का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 3 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 20.10.2021 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 4 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.10.2021 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ चना दाल जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1424 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 35 से सील चपड़ी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने



खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक AM-1424 मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 5 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 21.10.2021 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 6 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 8 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2021/5113 दिनांक 24.11.2021 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 396/ACT 2021/388 Dated 30-10-2021 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 396/ACT 2021/388 Dated 30-10-2021 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 35 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 23.10.2021 से 30.10.2021 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Chana Dal (Loose) bearing code no. and serial no. AM-1424 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh is sub-standard as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards (food products standards and Additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1424 चना दाल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (sub-standard) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2021/5113 दिनांक 24.11.2021 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक



अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2022/403 दिनांक 03.02.2022 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 09 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी/अप्रार्थी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी श्री निशान्त पुत्र श्याम सुन्दर नानवानी, मैसर्स प्रकाश सुपर स्टोर, सेगवा हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।



चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म के निरीक्षण के दौरान विक्रेता/मालिक के पास खाद्य अनुज्ञा पत्र भी नहीं होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii), 31 (i) के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 एवं 63 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49, 51 एवं 63 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री निशान्त पुत्र श्याम सुन्दर नानवानी, मैसर्स प्रकाश सुपर स्टोर, सेगवा हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ को राशि रुपये 15000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़